कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

संख्या–1563/डी0एल0आर0सी0–2021 दिनांक नवम्बर 18,2021

विषय– जनपद देहरादून के ग्राम कुआँवाला में हरिद्वार–देहरादून राजमार्ग–72 के Row के भीतर गेल के प्रस्तावित गैस रिसीविंग टर्मिनल स्टेशन के लिए एप्रोच मार्ग के निर्माण हेतु 0.0132है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध मे।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग देहरादून।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 532/12–1 दिनांक 09 अगस्त 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें, जिसमें ग्राम कुआँवाला में हरिद्वार–देहरादून राजमार्ग–72 के Row के भीतर गेल के प्रस्तावित गैस रिसीविंग टर्मिनल स्टेशन के लिए एप्रोच मार्ग के निर्माण हेतु 0.0132है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराये जाने के अपेक्षा की गयी हैः–

1– परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर दी जानी प्रस्तावित है। अतः वन भूमि के मूल्य एवं वार्षिक लीज रेन्ट का जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

2– वन भूमि का मूल्य एवं लीज रेन्ट जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न की जाये।

उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी सदर देहरादून से जाँच करायी गयी। उपजिलाधिकारी सदर देहरादून के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 01.11.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मौजा कुंआवाला में वर्तमान प्रचलित अकृषि भूमि सर्किल रेट 8000.00रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से मूल्य 8000X132=10,56000.00(दस लाख छप्पन हजार) होता है। एप्रोच मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना तथा मूल्यांकन वन विभाग से कराया जाना उचित होगा।

अतः उपजिलाधिकारी सदर देहरादून से प्राप्त जाँच आख्या की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 शिव कुमार बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून।

Scanned with CamScanner